निजी क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं से प्राप्त शिकायतें

779. **श्री गोपालसिंह जी॰ सोलंकी:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को प्रसूति छुट्टी और अन्य लाभ प्रदान किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ये किन नियमों द्वारा अधिशासित किए जा रहे हैं; और

(ग) इन नियमों का अनुपालन न करने के संबंध में राज्यवार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है और सरकार ने दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ए॰ संगमा): (क) और (ख) निजी क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को *प्रसूति अवकाश तथा कतिपय अन्य लाभ या तो* कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 अथवा प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अंतर्गत दिए जा रहे हैं।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत प्रसूति प्रसुविधा से संबंधित प्रावधानों का पालन न करने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। खानों तथा सर्कस उद्योग के बारे में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के प्रशासन के लिए मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) जिम्मेदार है। मुख्य श्रमायुक्त के कार्यालय को एशासिएटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज, कोटा की महिला कर्मकारों को प्रसूति प्रसुविधा प्रदान करने से इन्कार किए जाने के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई है। इस शिकायत को जांच-पड़ताल के लिए क्षेत्रीय श्रमायुक्त राजस्थान को भेजा गया है। जहां तक अन्य उद्योगों का संबंध है प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के प्रावधानों को राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। अतः राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्राप्त शिकायतों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

Protection of Beedi Workers

780. SHRI B.K. HARIPRASAD: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Beedi workers in the Dakshin Kannada areas are exploited by the unscrupulous managements by denying them minimum wages and other social security benefits; and

(b) whether Government would consider enactment of a legislation for the protection of Beedi workers all over India on the lines of measures currently in force in Kerala?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P.A. SANGMA): (a) No such complaint has come to the notice of the government in the recent past.

(b) There is no proposal for the enactment of a fresh legislation for beedi workers. The Beedi and Cigar Workers (conditions of Employment) Act, 1966 is applicable to Beedi workers of all the states, including Kerala.

Holding of National conference of Safety in Mines

781. SHRI SUNIL BASU RAY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the VIII National Conference on safety in mines is being postponed repeatedly;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) what is the probable date of holding it?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P.A. SANGMA): (a) to (c) The VIII Conference on Safety in Mines which was initially fixed for the 28th and 29th October, 1992 was rescheduled for 26th and 27th December, 1992. However, it had to be postponed due to unavoidable reasons. The next date for holding the Conference is being finalised.